न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 31/2025
तारीख दायर 18.06.2025
पीठासीन अधिकारीः– विजयेश कुमार पण्ड्या, आरएएस

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़

– प्रार्थी

बनाम

श्री राजेश पोरवाल पुत्र श्री मनोहरलाल पोरवाल, मैसर्स राजेश ट्रेडर्स, गोतमेश्वर रोड बस स्टेण्ड अरनोद

–अप्रार्थी

:–आदेश–:

दिनांक 15/07/2025

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प1 (2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड चायपति (पवित्र पुजा) का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंधन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विकेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया [illegible] प्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:39:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत [illegible] को दोपहर [illegible] पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स राजेश ट्रेडर्स, [illegible] रोड बस स्टेण्ड अरनोद [illegible] पर पवित्र पुजा चायपती के 250 ग्राम के 10 पैकेट पैक अवस्था में रखे थे। उस समय मौके पर विक्रेता खाद्य कारोबार कर्ता की हैसियत से जो व्यक्ति उपस्थित हुआ उसे अपना परिचय दिया व

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ़

उसका परिचय लिया। खाद्य कारोबारकर्ता ने अपना नाम राजेश पोरवाल पुत्र श्री मनोहरलाल बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा गया जो मौके पर विक्रेता के पास उपलब्ध होना बताया। पैक अवस्था में रखे जय श्री गोल्ड चाय पर शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया गया ओर बताया गया कि उक्त पैक अवस्था का एफएसएसए के तहत सेम्पल लिया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा चायपती पवित्र पुजा के 250 ग्राम के 4 पैकेट वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदी जिसकी कीमत 440 रूपये विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतिया एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर सुनकर समझकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा चायपती पवित्र पुजा के पैक पैकेट पर विक्रेता एवं गवाहान के सामने लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये और लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक, दिनांक व स्थान दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला प्रतापगढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. वाई 2404 नियमानुसार चारो नमूना पैकेट पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस प्रकार कराये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

कार्यालय पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की छह प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था । एक नमूना भाग मय फार्म संख्या की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बांसवाडा को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सीलबन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सीलबन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला प्रतापगढ़ को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:39:53 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया चायपती पवित्र पुजा का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया । उक्त क्रम में विक्रेता को फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया। इस क्रम में मालिक द्वारा आधारकार्ड, रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति प्रस्तुत की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी राजेश पोरवाल को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया ।

अप्रार्थी अभियुक्त को उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढ़कर अवगत कराया गया । अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित व जवाब देने से मना किया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीएच लेब/बांस/एक्ट/2025/320 दिनांक 07.03.2025 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेची जा रही चायपती पवित्र पुजा का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है । उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है । अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी के वहा दिनांक [illegible]2025 को उपलब्ध कुल माल 10 पैकेट की कीमत 1100 रू की पॉच गुना शास्ति 5500/रू आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के नाम जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:39:53 IST
Reason: SelfAttested

डी0डी0 न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 15.07.2025 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

क्रमांक / रीडर / 2025 / दिनांक 15.07.2025

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. अप्रार्थी अभियुक्त श्री राजेश पोरवाल पुत्र श्री मनोहरलाल पोरवाल, मैसर्स राजेश ट्रेडर्स, गोतमेश्वर रोड बस स्टेण्ड अरनोद

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:39:53 IST
Reason: SelfAttested